

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO)

बायत

मुकाम

अदालत

देवानाम

बनाम

गोमा राम कोठेरा

कैसम मुकदमा

राजस्व आवेदन

नं.

21

सन् 2017

क्रमांक

हुकम कार्यावाही मय इनिशियट्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

17/11/17

राजस्थान हाईकोर्ट/अपीलांत के वकील श्री. कुम्हार सिंह चौधरी
नं. 111, 128 P.L.R Act.
राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।
जो दर्ज रजिस्टर हो। विपक्षी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन
तलय होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/2/17 को पेश हो।

25/11/17

सहायक कलेक्टर (SDO) बायत

17/02/17

प्रार्थी करील उपस्थित। विपक्षीगिणों के नोटिस तामिल बुद्धा प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली किफ्त गया। अतः सीमागत सीमागत अधिदारी डिग्न डायरी में एक्स्प होने के किमाल इल्तवा होडा भागाभी डिनांक 27/04/17 के पैग ई/02

27/04/17

प्रार्थी करील उपस्थित। विपक्षीगिण कावजुड तामिल सुनुव उपस्थित। प्रार्थी करील करार विपक्षी प्रार्थी के एक्वेडरी खेलों के इल्तवा गये सीमागत ही सीमागत रिपोर्ट पैग की गई जिसे तामिल पत्रावली किफ्त गया। प्रार्थी के करील ही एक्पलीम करार सुनी गई प्रार्थी के अधिकतम के वाक्ता प्रार्थी ही अपने एक्वेडरी खेलों के चार्ज और पन्डे नैष्कम स्थापित इल्तवा करार्यु है। इल्तवा नैष्कम करील आवेदन स्वीकार किफ्त जाडर नैष्कम करील किफ्त जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किफ्त जाडा तदुपलान्त कायतु ही अधिकतम किफ्त किफ्त जाला है व कोडा किफ्त जाला है कि प्रायु स्वयं या अपने अधिकतम करील भी अ अधिकतम किफ्त किफ्त प्रार्थी के एक्वेडरी खेलों की पुन्डी नैष्कम करील गडे पर सुनुव नैष्कम करील के शलना रिपोर्ट प्राप्त होने पर तामिल पत्रावली ही पत्रावली किमाल बुद्धा हो, इर्ज नम्बर के डम ही डाखिल इल्तवा हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2017/ 235

दिनांक:- 27/4/2017

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. देवाराम पुत्र उमाराम जाति जाट
निवासी सियोलों की ढाणी, सेवनियाला
तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. गोमाराम पुत्र जेहाराम वगैरा
21 निवासी सियोलों की ढाणी,
सेवनियाला तह. बायतु जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 21/17

आदेश

खसरा नं. 469/324 रकबा 35.11 बीघा मौजा सियोलों की ढाणी पटवार मण्डल सेवनियाला भू अमिलेख वृत नगोणी घतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



प्रार्थी निम्न की सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री देवाराम पुत्र उमाराम।
4. विप्रार्थी श्री गोमाराम पुत्र जेहाराम वगैरा 21।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
दिनांक बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु